भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 229

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत पहचानी गई शेल कंपनियां

229. श्री लालजी वर्माः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शेल कंपनियों की औपचारिक परिभाषा लागू करने का विचार है;

(ख) निष्क्रिय फर्मों की अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने हेतु निगरानी और अनुपालन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) विनियामक जांच के लिए चिह्नित ऑनलाइन ऋण देने वाले ऐप्स की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके क्या परिणाम अपेक्षित हैं; और

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत अंबेडकर नगर जिले में चिह्नित शेल कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 में "शेल कंपनी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 में ऐसी परिभाषा लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): कंपनी रजिस्ट्रार उन चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92, 96 और 137 के तहत कार्रवाई करके या कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के तहत कंपनी (कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के तहत कार्रवाई करके अपने वार्षिक विवरणी और/या वित्तीय विवरण फ़ाइल करने में विफल रहती हैं। जब भी कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कंपनियों के खिलाफ डायवर्जन, धन की हेराफेरी या धोखाधड़ी आदि के लिए भी कार्रवाई की जाती है, जैसा भी मामला हो।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206(4), 206(5) और 210 के अंतर्गत केन्द्र सरकार गैर-अनुपालन के संबंध में शिकायतों, संदर्भों और सूचना के आधार पर क्रमश जांच, निरीक्षण, अन्वेषण के आदेश देती है। उपर्युक्त के निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत कंपनियों को बंद करने सहित गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इसकी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पूछताछ, लेखा-बही निरीक्षण और जाँच हेतु नियामक कार्रवाई समय-समय पर उन कंपनियों के विरुद्ध की जाती है, जिनमें लोन ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन ऋण देने के कार्यकलाप शामिल हैं। उपरोक्त के आधार पर, जब भी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना को अवरुद्ध करने के लिए अवरोधक निदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अब तक, सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद, एमईआईटीवाई ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत कुल 87 अवैध ऋण आवेदनों को ब्लॉक कर दिया है।

(घ): चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शेल कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए वांछित सूचना नहीं रखी जाती है।

*****